राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
बल्लूराम बनाम गिरधारी

तारीख हुक्म	1639/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 27/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. को पूर्व पेशी दिनांक 24/03/2026 को निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीसंख्या 2 लगा. 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का पेश किया, जिस पर वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों को इन्कार करते हुये प्रार्थना पत्र ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया गया तत्पश्चात अधानस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/08/2025 पारित करते हुये प्रतिवादीसंख्या 2 लगा. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद विधि अनुसार बार्ड बाई लॉ पोषणीय नही होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

~~बल्लूराम बनाम गिरधारी~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1639/2025	

द्वारा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती के प्रश्नाधीन वाद को सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती के बिन्दु को तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये तय किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है, ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य-सबूत तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीयात कायम कर एवं साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर